

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी-डॉ०सूरज सिंह नेगी

तारीख रजू 19.02.2020

अपील संख्या 67/2020

लाल खां पुत्र जुम्मा खां जाति बंजारा, निवासी हंसनपुरा।

— अपीलार्थी.

बनाम

— रेस्पोंडेंट

सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा।

निर्णय

दिनांक 10.01.2022

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा मिसल संख्या 96/2019 में पारित आदेश दिनांक 18.09.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम कंवरपुरा के आराजी खसरा नम्बर 577 रकबा 0.06 है० किस्म चारागाह पर संवत् 2076 में अनाधिकृत रूप से जोत लगाकर फसल काश्त कर अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर अतिक्रमण भूमि से वेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलार्थी निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली प्राप्त हुई। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि आराजी खसरा नम्बर 577 रकबा 0.06 है० पर प्रार्थी अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमण उक्त आराजी पर नहीं है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय करने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर नहीं दिया गया है यदि प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो प्रार्थी अपना पक्ष प्रस्तुत करता। यह भी निवेदन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय ने एक तरफा निर्णय पारित कर अहम भूल की गयी है जिससे अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी निवेदन किया है कि पश्चातवर्ती के सम्बन्ध अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व में किये अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी सबूत नहीं होने से अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिचारी नहीं माना जा सकता। अन्त में वकील अपीलान्त द्वारा अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.09.2019 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।




अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वकील पुराकार सरकार द्वारा वकील अपीलान्त द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए बहस में तर्क दिया गया है कि अपीलान्त को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया जिसकी विधिवत रूप से अपीलान्त के परिवार को पत्रावली में नोटीस हुई है जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है। अपीलान्त द्वारा राजकीय भूमि का अतिक्रमण किया गया है तथा पटवारी हल्का के बयान भी अदालत मातहत की पत्रावली में शामिल है जिससे साबित होता है कि अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिचारी है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं होने से अपीलान्त की अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है अपीलान्त के परिवार को नोटिस की तामील करवाई गयी। अतः वकील अपीलान्त का तर्क है कि अपीलान्त सुनवाई/सबूत प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया गया मान्य नहीं है। जहां तक अतिक्रमण आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस, फर्द नीलामी व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है। अपीलान्त द्वारा बहस में पश्चातवर्ती के सबूत अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न नहीं होने के कथन से मैं पूर्ण रूपेण सहमत हूँ। अतः मेरी राय में अपील अपीलान्त आंशिक स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमें तहसीलदार चौध का बरवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.09.2019 में बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्त को दिये गये 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाकर सजा माफ की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10-01-2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


(डॉ०सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर